न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

पीठासीन अधिकारी मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 143/2008

1. मखन
2. श्योकत
3. याकूब पुत्रान गन्नीखां
4. नथूखां
5. साबुदीन
6. सिकन्दर पुत्रान मनुखां
7. बिस्मिता बेवा मनुखां जाति कलाल मुसलमान निवासीगण ढाणी कलालान मुकुन्दगढ मण्डी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

वकील वादीगण – श्री अमरसिंह शेखावत
वकील प्रतिवादी – राज पैरोकार तहसीलदार नवलगढ

निर्णय

निर्णय दिनांक 09.01.2020

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पबाना की सरहद में भूमि ख.न. भूप्रबंध से पूर्व के 403/1/2 तादादी 6 बीघा पुख्ता तथा 403/1/3 तादादी 3 बीघा पुख्ता कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीश्वा पुख्ता अवस्थित है। जिसके वादीगण के पिता गन्नीखां व मुनीरखां की खातेदारी काश्तकारी तथा कब्जे में भूमि इनके देहान्त के बाद उक्त भूमि वादीगण जो इनके वारिसान हैं की खातेदारी काश्तकारी में हैं, वादीगण नं. 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/2 व वादीगण नं. 4 लगायत 7 का हिस्सा 1/2 है, इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड है,भू प्रबंध के ख.न. 694 व 695 रकबा क्रमशः 0.01, व 2.25है0 कुल 2.26 है0 दर्ज है वर्तमान ख.न. 1129/695 है । ख.न. 695/0.10 सिवाय चक नगरपालिका मुकुन्दगढ के नाम से दर्ज है जिसमें वादीगण द्वारा ही 90बी की कार्यवाही कर आबादी में दर्ज करवाया जिसका कोई विवाद नही है, शेष भूमि वादीगण के कब्जे काश्त में वर्षों पूर्व यानि आज से 40 वर्ष से अधिक समय से चाह बनाकर विद्युत पम्पिंग सैट से अपनी भूमि की सिंचाई करते आ रहे हैं जिसका विद्युत उपभोग काबिल लगातार अदा करते आ रहे हैं चाह वादीगण की खातेदारी की भूमि में अवस्थित है।

भू–प्रबंध कार्य के दौरान भू–प्रबंध विभाग द्वारा वादीगण की खातेदारी की भूमि में अवस्थित चाह ख.न. 694 रकबा 0.01 है0 को गै0 मु0राजकीय बंजड भूमि दर्ज कर वादीगण की खातेदरी से अवैधानिक बिना कानून के दर्ज किया है जबकि भू–प्रबंध अधिकारी को पूर्व की खातेदारी को रिपिट करने का अधिकार था न कि खातेदारी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करन का अधिकार है। परन्तु

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

कानून को अपने हाथ में लेकर वादीगण की खातेदारी की भूमि में अवस्थित चाह को गलत रूप से राजकीय चाह दर्ज करने से वादीगण को सख्त हकतलफी पैदा हुई हालांकि उक्त गलत राजस्व रिकार्ड वादीगण के अधिकारों पर कोई विपरीत असर नही डालता परन्तु उक्त गलत राजस्व रिकार्ड के रहने से वादीगण को वाद में फंसना पडेगा तथा वादीगण के अधिकारों के विपरीत गलत राजस्व रिकार्ड शून्य है। इसलिये वादीगण को दावा घोषणार्थ व रिकार्ड दुरुस्ती का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादीगण की भूमि का मौका जांच करने दिनांक 25.05.2007 को तत्कालीन तहसीलदार, गिरदावर व पटवारी हल्का पबाना मौके पर पहूंचकर मौका देखा जिसमें ख.न. 694 रकबा 0.01 है0 वादीगण के कब्जे व पुख्ता चाह वर्षो पुराना बना हुआ जिसमें विद्युत कनेक्शन लगा हुआ चालू हालत में ख.न. 694 के चाह से वर्तमान ख.न. 1179/695 में सिंचाई होना अंकित किया है विद्युत कनेक्शन वादीगण के दादाजी सीतू वल्द भूराखां के नाम से है इस प्रकार से उक्त चाह पूर्व से ख.न. 403/1/2 तथा 403/1/3 की खातेदारी की भूमि में ही बना हुआ है उक्त चाह वर्षो पुराना है उक्त चाह को राजकीय गलत रूप से दर्ज किया गया है इसलिये वाद करना आवश्यक हुआ।

प्रतिवादी की नियत में फर्क आ गया गलत राजस्व रिकार्ड की आड में वादीगण की ओर से खातेदारी में अवस्थित वर्षो पुराना विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर अपनी भूमि की सिंचाई व पानी पीने के काम में लेते आ रहे है, से बेदखल करने पर आमादा है वादीगण को नोटिस राज0 लै0रे0 एक्ट की धारा 91 के तहत नोटिस कमांक 1068 दिनांक 30.07.2008 को इस आशय का दिया गया कि चाह को राज हक में लिया जायेगा जिसकी आगामी तिथि दिनांक 18.08.2008 नियुक्त है अगर प्रतिवादी वादीगण की खातेदारी में चाह से गलत राजस्व रिकार्ड की आड में बेदखल कर देगा तो वादीगण का वाद करना ही निष्फल हो जावेगा तथा अपने वैद्य अधिकारों से वंचित होना पडेगा हालांकि कानूनन ऐसा करने का कोई अधिकार नही है इसलिये स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण को चाह ख.न. 694 में से न तो स्वयं बेदखल करे न ही अन्य अपने अधिनस्थ कर्मचारी से बेदखल करवाये, न ही उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा डलवाये। प्रतिवादी राजकीय कर्मचारी है राजकीय कर्मचारी होने के कारण से वाद लाने से पूर्व 80 सीपीसी के तहत दो माह का नोटिस देना आवश्यक है अगर दो माह का नोटिस दिया जावेगा वादीगण को प्रतिवादी बेदखल कर देगा वाद करना ही निष्फल हो जावेगा तथा वाद की प्रकृति ही बदल जावेगी इसलिये वाद अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण से दो माह का नोटिस देना संभव नही होगा इसलिये अलग से धारा 80(2)सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की इजाजत कर वाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण बहक खिलाफ प्रतिवादी इस उमर की घोषणा की डिकी फरमाई जावे कि वाके ग्राम पबाना की सरहद में ख.न. 694 रकबा 0.01 है0 वादीगण की खातेदारी में अवस्थित चाह जिसका खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा किश्म को भी बदली जावे। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त चाह से न तो स्वयं बेदखल करे और न ही अपने अधिनस्थ कर्मचारी से बेदखल करवाये उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की न तो स्वय न किसी अन्य किसी प्रकार की बाधा डलवाये।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी की ओर से राज पैरोकार उपस्थित होकर जबाब दावा प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि ग्राम पबाना की सरहद में पुराना ख.न. 403/2 रकबा 10बिश्वा किस्म बंजड अवस्थित है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के वर्तमान ख.न. 694 रकबा 0.01 है0 से बना है। जिसकी खातेदारी राजकीय दर्ज है। उक्त ख.न. 694 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
नदबई

Scanned by CamScanner

01 है0 राजकीय खातेदारी में दर्ज है जो वादीगण की खातेदारी में दर्ज नही है। उक्त ख.न. भू-प्रबंध कार्य से पूर्व से ही राजकीय खातेदारी में दर्ज था व वर्तमान में भी राजकीय खातेदारी में ही दर्ज है यह गलत है कि भू प्रबंध कार्य के दौरान भू प्रबंध विभाग ने गलत रूप से खातेदारी में परिवर्तन करके राजकीय चाह दर्ज किया है। यह सही है कि उक्त चाह मौके पर वर्षो पुराना बना हुआ है परन्तु यह सही नही है कि उक्त चाह को गलत तथ्य से राजकीय दर्ज किया है। यह पूर्व से ही राजकीय दर्ज था। राजस्व रिकार्ड के अनुसार वर्षो पुराना चाह राजकीय खातेदारी में दर्ज था जिस पर अतिमकमण होने पर लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही नियमानुसार की गई है जो सही है। ख.न. 694 राजकीय खातेदारी में बंजड दर्ज है व भू प्रबंध से पूर्व भी बंजड जोहड दर्ज था। उक्त ख.न. पर वादीगण का कोई हक नही है, वादीगण द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा कर अतिकमण किया है जिसे नियमानुसार बेदखल किया जाना उचित है। ख.न. 694 रकबा 0.01 है0 राजकीय खातेदारी में दर्ज है जिसके वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित नही होगा। जबाब दावा प्रस्तुत होने पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई:-

1. तनकी नं. 1:- आया विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम पबाना की सरहद में ख.न. 694 रकबा 0.01 है में अवस्थित चाह का वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित करवाने एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज राजकीय बंजड दर्ज हो. दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैं।

-वादीगण

2. तनकी नं. 2:- आया वादीगण प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

-वादीगण

3. तनकी नं. 3:- आया विवादित भूमि ख.न. 694 राजकीय खातेदारी बंजड दर्ज है भू प्रबंध से पूर्व भी बंजड जोहड दर्ज है उक्त ख.न. पर वादीगण का कोई हक नही है वादीगण द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा किया जाकर अतिकमण किया गया है जिसको नियमानुसार बेदखल कराने का अधिकारी है।

-प्रतिवादी

साक्ष्य वादी में वादी मक्खन, श्योकत, हारून अली, किशोर कुमार के शपथ पत्र पेश हुए। प्रतिवादी की ओर से नायब तहसीलदार के बयान करवाये गये।

शहादत पक्षकारन ली जाकर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील वादी ने आरबीजे (5) 1998 पेज 610 व आरबीजे (5) पेज 274 न्यायिक दृष्टान्त पेश कियेक। निर्णय तनकियात निम्नानुसार है:-

1. तनकी नं. 1:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नकल मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985 के अनुसार गत ख.न. 403/2 मी से नये ख.न. 694/0.01 तथा 403मी से से नये ख.न. 695/2.25 है0 बने हैं। भू प्रबंध विभाग द्वारा जारी पर्चा खतोनी के अनुसार गत ख.न. 403/1/2 से नये ख.न. 695/2.25 तथा 403/1/3 से नया ख.न. 697/1.11 है0 की खातेदारी गनी खां पुत्र जुमदीखां मुनीरखां पुत्र सितुखां जाति चोबदार कलाल सा. ढाणी कलालान तन पबाना खातेदार दर्ज किया गया है। नकल जमाबंदी संवत 2033 ग्राम पबाना के अनुसार गत ख.न. 403/1/2 रकबा 6 बीघा व 403/1/3 रकबा 3 बीघा कुल तादादी 9 बीघा की खातेदारी गन्नीखां पुत्र जमुर्दीखा मुनीरखां पुत्र सीतुखां जाति चोपदार कलाल सा.ढाणी कलालान तन पबाना दर्ज रिकार्ड है। इस संबंध में वादीगण की और से विद्युत विपत्र भी प्रस्तुत किये गये हैं परन्तु मुख्य तथ्य ख.न. 694 की खातेदारी के संबंध में वादीगण की खातेदारी को सिद्ध किया जाना है जिसके संबंध में वादीगण द्वारा अपने हक हकूक का कोई दस्तावेजात पेश नही किया गया है। ख.न. 694

उपखण्ड अधिकारी

किसी भी प्रकार से गत ख.न. 403/1/2 व 403/1/3 से बनना सिद्ध नही हो पा रहा है। ख.न. 694 में बना चाह राजकीय भूमि में अवस्थित होना सिद्ध है जो राजकीय खाते में दर्ज है। अतः इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

2. तनकी नं. 2:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। ख.न. 694 की खातेदारी की विवेचना तनकी नं. 1 में की जा चुकी है। वादग्रस्त आराजी वादीगण की खातेदारी में नही होने से इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

3. तनकी नं. 3:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। विवादित भूमि ख.न. 694 राजकीय खातेदारी बंजड दर्ज है भू प्रबंध से पूर्व भी बंजड जोहड दर्ज है उक्त ख.न. पर वादीगण का कोई हक नही है वादीगण द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा किया जाकर अतिक्रमण किया गया है जिसको नियमानुसार बेदखल कराने का अधिकारी है। अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में किया जाता है।

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दुष्टान्त प्रकरण पर अक्षरशः चस्पा नही होते है क्योंकि दोनो न्यायिक दृष्टान्त सेटलमेंट विभाग द्वारा पूर्व के राजस्व रिकार्ड को परिवर्तित करने से संबंधित है जबकि प्रकरण में वादी पक्ष प्रश्नगत भूमि को सेटलमेंट से पूर्व अपनी भूमि साबित नही कर पाये है।

उपरोक्त निर्णय तनकीयात व प्रस्तुत शहादत साक्ष्यों के अनुसार वादग्रस्त आराजी की खातेदारी वादीगण की सिद्ध नही होने से वाद वादीगण न्यायोचित नही होने से खारीज किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण न्यायोचित नही होने से खारीज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 9.1.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9-1-2020

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास तोगडाकला

मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा बाबत घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 143 / 2008 (मक्खन बनाम तहसीलदार)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक **09.01.2020** निर्णय अनुसार व वाद वादीगण न्यायोचित नही होने से खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

जिन.....–..... मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **09** माह **01** सन **2020** को जारी की गई।

9-1-2020

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

मोहर

मुददई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	10.00		0.00

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.02.20 15:51:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: